

क्र.संख्या-195 (ग)



रजिस्ट्रं नं० ए० डी०-६

लाइसेंस सं० डब्ल्यू० पी०-४।

(लाइसेंस टू पो-विहाउट प्रीपेमेंट)

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 27 मार्च, 1986

फाल्गुन 6, 1907 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 707/सत्रह-वि०-1-1(क)-18-1986

लखनऊ, 27 मार्च, 1986

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986 पर दिनांक 24 मार्च, 1986 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1986 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1986

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1986)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के संतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधि-  
नियम संख्या 15  
सन् 1977 की  
धारा 2 का  
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 में,  
उपधारा (1) में, शब्द और अंक "31 मार्च, 1986" के स्थान पर शब्द और अंक "31 मार्च,  
1987" रख दिये जायेंगे।

श्रीनाथ से,  
श्रीनाथ सहाय,  
सचिव।

No. 707(2)/XVII-V-1-1(KA)-18-1986

Dated Lucknow, March 27, 1986

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Zila Parishad (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1986 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhy 11 of 1986) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 24, 1986.

**THE UTTAR PRADESH ZILA PARISHADS (ALPAKALIK VYAWASTHA)  
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1986**

(U. P. Act No. 11 of 1986)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

Further to amend the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha)  
Adhiniyam, 1977

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1986. Short title
2. In section 2 of the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1977, in sub-section (1), for the words and figures "31st day of March, 1986", the words and figures "31st day of March, 1987" shall be substituted. Amendment of section 2 of U. P. Act no. 15 of 1977

By order,  
S. N. SAHAY,  
Sachiv.